डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 12 अक्टूबर 2001—आश्विन 20 , शक 1923

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं जन न्यास पंजीयन अधिकारी, गरियाबंद जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा (2) तथा म. प्र. जन न्यास अधि. 1962 के नियम 51(2) के अंतर्गत]

क्रमांक 01/ब/113 (4)वर्ष 97-98.

गरियाबंद, दिनांक 13 फरवरी 2001

चूंकि मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण में सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 19-3-2001 को स्थान गरियाबंद जिला रायपुर में समय 10.30 बजे दिन को होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रूचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकते हैं, तथा मेरे समक्ष उपस्थित होकर अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. इस अवधिं की समाप्ति के

उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

(1)	मंदिर अथवा ट्रस्ट का नाम	—	(1) श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर देवभोग. (2) श्री महादेव स्वामी मंदिर, देवभोग.
(2)	अचल सम्पत्ति का विवरण	—	(1) खसरा नं. 79, रकबा 0.13 लगान 0.25 (2) खसरा नं. 76, रकबा 0.62 लगान 1.50 (3) खसरा नं. 103 रकबा 14.51 हे. लगान 33.50.

गरियाबंद, दिनांक 20 मार्च 2001

क्रमांक 01/ब/113 (4)वर्ष 99-2000.

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा (2) तथा म. प्र. जन न्यास अधिनियम 1962 के नियम 51 (2) के अंतर्गत]

चूंकि मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 27-4-2001 को स्थान गरियांबद में समय 10.30 बजे होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रूचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकता है तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

(1)	मंदिर अथवा ट्रस्ट का नाम	—	श्री शंकर भगवान मंदिर
(2)	अचल संपत्ति	—	ग्राम बिनौरी हल्का नंबर 4 तहसील, राजिम, खसरा नं. 493 रकबा 0.55 हे, खसरा नं. 530 रकबा 0.10, खसरा नं. 406, रकबा 0.19, खसरा नं. 777/2 रकबा 0.12.
(3)	चल संपत्ति	—	एक पीतल का घंटा लगभग, 1 1/2 कि.

नवनीतम कुमार

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 5 की उप-धारा 2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) देखिये].

दुर्ग भिलाई जेसी चेरिटेबल ट्रस्ट ए/13 महेश नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के संबंध में :—

क्रमांक 625/प्र. 1/अ. वि. अ./2001.—चूंकि श्री डी. सी. लूनिया प्रमुख ट्रस्टी दुर्ग भिलाई जेसी चेरिटेबल ट्रस्ट ए-13 महेश नगर दुर्ग तहसील

व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30)की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-5-2001 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति को उक्त न्यास का संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और गठन करती है.

अत: मैं वेदप्रकाश पंजीयक लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 29-5-2001 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना हो तो कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(1) लोक न्यास का नाम — दुर्ग भिलाई जेसी चेरिटेबल ट्रस्ट ए/13 महेश नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग.

(2) लोक न्यास की संपत्ति — 5000/- (पांच हजार रुपये) नगद

वेद प्रकाश,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 25-8-2001

क्रमांक क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि श्री प्रहलाद दास द्वारकानी साकिन आरंग द्वारा जन कल्याण न्यास द्वारा गोपाल दास डागा नारायण बाग रोड आंरग ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 10-9-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

जन कल्याण न्यास द्वारा गोपाल दास डागा नारायण बाग रोड, आंरग

चल संपत्ति रुपये 9969.00 शब्दों में रुपये नौ हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र. उक्त राशि बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा आंरग के बचत खाता क्रमांक जे-150 में जमा है.

रायपुर , दिनांक 25-8-2001

क्र. क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि आवेदक श्री प्रहलाद दास द्वारकानी साकिन आरंग द्वारा श्री देवकिसन, गंगाबिसन द्वारकानी स्मारक धर्मार्थ न्यास साकिन आरंग ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 10-9-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

श्री देव किसन, गंगाबिसन द्वारकानी स्मारक धर्मार्थ न्यास साकिन आरंग तहसील आरंग जिला रायपुर छ.ग.

चल संपत्ति रु. 11,000.00 शब्दों में रुपये ग्यारह हजार मात्र. देना बैंक आफ इंडिया आरंग के खाता क्रमांक 13749 में डिपाटिज है.

रायपुर, दिनांक 25-8-2001

क्र. क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि श्री चतुर्भुज अग्रवाल वल्द फूल चंद अग्रवाल एवं 2 अन्य निवासी सिविल लाइन, रायपुर द्वारा चतुर्भुत एंड संस ट्रस्ट बंदना हाऊस, जी. ई. रोड रामकुंड, रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 18-9-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

चतुर्भुज एंड संस ट्रस्ट बंदना हाऊस जी. ई. रोड रामकुंड, रायपुर

चल संपत्ति रु. 5001.00 शब्दों में रुपये पांच हजार एक रु. मात्र. उक्त राशि सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया विवेकानंद आश्रम रायपुर के खाता क्रमांक 2046 में जमा है.

रायपुर, दिनांक 25-8-2001

क्र. क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि श्री धीरेन शाह वल्द रामजी भाई शाह एवं दो अन्य साकिन चौबे कालोनी रायपुर द्वारा जबेरबेन रामजी केनिया चेरिटेबल ट्रस्ट सत्यम 27 नगर निगम कोलोनी, रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 18-9-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

श्री जबेरबेन रामजी केनिया चेरिटेबल ट्रस्ट सत्यम 27 नगर निगम कोलोनी, रायपुर

चल संपत्ति रु. 5001.00 नगद शब्दों में रुपये पांच हजार एक रुपये मात्र वर्तमान में अचल संपत्ति निरंक

रायपुर, दिनांक 3-9-2001

क्र. क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि श्री केयूर भूषण, मूल ट्रस्टी, गांधी ज्ञान मंदिर ट्रस्ट, 247, सुन्दर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 3-10-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

''गांधी ज्ञान मंदिर ट्रस्ट'' 247 सुन्दर नगर रायपुर.

ग्राम जाता ह. नं. 5 रा. नि. मं., खंडसरा विकासखंड बेमेतरा जिला दुर्ग में खसरा नंबर 274 रकबा 1.90 हे. भूमि एवं इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक में 5,000/- (पांच हजार रुपये) नगद जमा है.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.